


Daily Current Affairs

कर्नाटक जलवायु कार्य योजना को केंद्र सरकार ने ढी अनुमति

चर्चा में क्यों?

- 'जलवायु परिवर्तन पर कर्नाटक राज्य कार्य योजना - संस्करण 2' अप्रैल 2021 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF & CC) को भेजी गई थी। जिसे केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्ष बाद, इसे क्रियान्वित करने की मंजूरी मिल गई है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण देखभाल फाउंडेशन, मंगलुरु के थिंकटैंक के अनुसार इस योजना की मंजूरी राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कर्नाटक की विकास आयुक्त डॉ. शालिनी रजनीश के अनुसार, आदर्श आचार संहिता हटते ही कैबिनेट के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा।
- जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार कार्ययोजना को शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।



जलवायु परिवर्तन पर कर्नाटक राज्य कार्य योजना के बारे में

- पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (EMPRI) द्वारा तैयार की गई कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई हस्तक्षेप और मूल्यांकन रणनीतियों का सुझाव देती है।
- इस योजना के अनुसार राज्य को कृषि, बागवानी, वानिकी, ग्रामीण विकास और 10 अन्य क्षेत्रों में उपायों को लागू करने के लिए 2025 और 2030 के बीच 52,827 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
- राज्य की कार्य योजना राज्य के विकास लक्ष्यों से समझौता किए बिना जलवायु परिवर्तन के हस्तक्षेप को शामिल करते हुए तैयार की गई है ताकि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) द्वारा परिकल्पित सह-लाभ प्राप्त किया जा सके।
- वनीकरण से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तक, योजना हर विभाग के लिए विभिन्न उपाय सुझाती है।
- साथ ही कार्य योजना धन एकत्र करने के लिए कई वित्तपोषण विधियों का वर्णन करती है। यद्यपि वित्तीय अनुमान वर्ष 2021 में तैयार किए गए थे जो अब बढ़ सकते हैं।
- इसके अलावा निजी निवेश को आकर्षित करने से लेकर नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष का बेहतर उपयोग करने तक, योजना विभिन्न वित्तपोषण विधियों का विवरण संदर्भित करती है।

कार्य योजना द्वारा सुझाई गई रणनीतियाँ

- कृषि: शुष्क मौसम की फसल योजना, सटीक सिंचाई तकनीक लागू किये जाएंगे।
- वन: जलवायु-अनुकूल वनीकरण कार्यक्रम अपनाए।
- पशुधन: एकीकृत रोग निगरानी और प्रतिक्रिया में तकनीक का प्रयोग किया जाए।
- भूजल: नियामक उपायों में सुधार किया जाए।
- ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा का तुलनात्मक रूप से प्राथमिकता दिया जाए।

कर्नाटक में गंभीर होती पर्यावरणीय समस्या

- कर्नाटक पिछले एक दशक से दक्षिणी जिलों में बाढ़ और उत्तरी और पूर्वी जिलों में सूखे की दो चरम स्थितियों के बीच फंसा हुआ है।
- कर्नाटक में अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, तुंगभद्रा, भद्रा, तुंगा, कावेरी, काबिनी, कागिना, कृष्णा, शिंशा, भीमा और नेत्रावती सहित बड़ी संख्या में प्रमुख नदियाँ पहले से ही प्रदूषित जल निकायों की खतरनाक सूची में शामिल हैं।
- अर्कावती नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) की सांद्रता 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो गई है, जिससे यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है।
- बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिये बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है।
- सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 और 2021 के दौरान कर्नाटक में 30 नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी 107 स्थानों पर की गई, जिनमें से 17 नदियों पर 41 स्थान बीओडी के संबंध में निर्धारित जल गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए।
- राज्य ने 240 तालुकों में से 223 में सूखा घोषित किया है, जिनमें से 196 को गंभीर रूप से प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बेंगलुरु इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रहा है, राज्य ने पिछले तीन से चार दशकों में इतना सूखा नहीं देखा है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)

- इसे औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया।
- यह योजना उन साधनों की पहचान करती है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही, जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है।
- यह जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्रकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्र में आठ राष्ट्रीय मिशन हैं-

- 1.राष्ट्रीय सौर मिशन
- 2.विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
- 3.सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन
- 4.राष्ट्रीय जल मिशन
- 5.सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
- 6.हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
- 7.सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
- 8.जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

- **राष्ट्रीय सौर मिशन**

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शासित ।
- इसे 2010 में 2022 तक ग्रिड समता प्राप्त करने और 2030 तक कोयला आधारित थर्मल पावर के साथ लॉन्च किया गया था।
- स्थानीय स्तर पर सौर पैनलों के निर्माण और स्थानीय अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से जोड़ने पर जोर।
- इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की पूर्ण लागत को कम करना और इसे किफायती बनाना है।

- **विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन**

- विद्युत मंत्रालय द्वारा शासित।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आधारित।
- यह ऊर्जा दक्षता में सुधार की लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र बनाता है। ।

- सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन

- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शासित।
- शहरी क्षेत्रों को अधिक जलवायु अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण द्वारा इसे कम करने और अनुकूलित करने की योजना है।
- पूरे देश के लिए एक बिल्डिंग कोड का निर्माण।
- कानून एवं व्यवस्था लागू करने की एक प्रणाली।
- हरित रेटिंग के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्थापित करना।

- राष्ट्रीय जल मिशन

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा शासित।
- यह वर्षाजल एवं नदी प्रवाह की विषमता से निबटने हेतु सतही एवं भूगर्भीय जल के भंडारण, वर्षाजल संचयन तथा स्प्रेडर अथवा ड्रिप सिंचाई जैसी अधिक दक्ष सिंचाई व्यवस्था की सिफारिश करता है।

- सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित ।
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया।
- इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के उपाय विकसित करना है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन को नियंत्रित करने के उपायों पर बल देना ताकि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता प्रभावित न हों

- **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन**
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शासित।
 - इसका उद्देश्य वन आवरण और घनत्व बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देने के साथ खराब वन भूमि को पुनर्जीवित करना है।
 - इस मिशन का लक्ष्य कार्बन सिंक जैसे पारिस्थितिकीय सेवाओं को बढ़ावा देकर देश में वन आवरण को 24.62% से बढ़ाकर 33% करना है।
- **सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन**
 - कृषि मंत्रालय द्वारा शासित।
 - इसका लक्ष्य फसलों की नई किस्म, खासकर जो तापमान वृद्धि सहन कर सकें, उसकी पहचान कर तथा वैकल्पिक फसल स्वरूप द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है।
 - इसका लक्ष्य कृषि बीमा को मजबूत करना, मृदा संसाधन और भूमि उपयोग को मैप करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग पर आधारित एक प्रणाली विकसित करना है।
- **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन**
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित।
 - यह जलवायु परिवर्तन के प्रति चुनौतियों और अपेक्षित प्रतिक्रियाओं की पहचान करता है।
 - यह मिशन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण हेतु नवीन तकनीकियों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी प्रोत्साहित करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर भारत की स्थिति

- चीन और अमेरिका के बाद भारत ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- भारत में उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख स्रोत-कोयला बिजली संयंत्र, चावल के खेत, मवेशी हैं।
- हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से नीचे बना हुआ है।
- देश में निवास स्थान के नुकसान के कारण वन्य जीवों की आबादी का विस्थापन और विलुप्त होना लगातार बढ़ा है।
- 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की "उत्सर्जन तीव्रता" में 33 - 35% की कमी लाने का प्रयास है।
- 2030 तक 2,500-3,000Mt CO₂ का अतिरिक्त संचयी कार्बन सिंक बनाने के लिए वृक्ष आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
- इसके अलावा भारत का लक्ष्य 2022 तक 5GW अपतटीय पवन ऊर्जा और 2030 तक 30GW स्थापित करने का भी है।
- क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुसार, देश 2030 तक 390GW कम लागत वाली पवन और सौर ऊर्जा को अपने ग्रिड में एकीकृत कर सकता है।